
अध्याय ३

वित्तीय प्रतिवेदन

अध्याय 3—वित्तीय प्रतिवेदन

3.1 प्रस्तावना

मजबूत आंतरिक वित्तीय सूचना प्रणाली तथा नियमों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन सुशासन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। ये प्रासंगिक, विश्वसनीय और समयेचित वित्तीय सूचना भी सुनिश्चित करती है और इस तरह सामरिक योजना और उचित निर्णय लेने सहित अपने बुनियादी प्रबंधन की जिम्मेदारियों को पूरा करने में राज्य शासन की सहायता करती है। इस अध्याय में वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य शासन के विभिन्न नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के अनुपालन की स्थिति एवं विहंगावलोकन दिया गया है।

3.2 व्यक्तिगत जमा खातों का संधारण

भारत के संविधान का अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण/बजट के माध्यम से लोक व्यय पर विधायी वित्तीय नियंत्रण का प्रावधान करता है। मध्य प्रदेश बजट नियमावली के अनुसार बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा वित्त विभाग को व्यय की प्रत्याशित बचतों के विवरण पत्रक प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी तक प्रस्तुत करने अपेक्षित होते हैं।

नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में, मध्य प्रदेश शासन के कई विभागों द्वारा वित्तीय प्रावधानों के उल्लंघन पर बार—बार टिप्पणी की गई है, जहाँ वित्त वर्ष के अंत में अनुदान को व्यपगत होने से बचाने के लिए अव्ययित निधियों को सामान्यतः लोक लेखे के अंतर्गत विभिन्न व्यक्तिगत जमा खातों में अंतरित कर दिया जाता है।

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के नियम 533 के अनुसार लोक लेखा अंतर्गत जमा के लिए कोषालय में प्राप्त नियत प्रकार की धनराशियों को व्यक्तिगत जमा खातों में जमा किया जा सकता है। व्यक्तिगत जमा खाते कोषालय में एक बैंकिंग जमा खाते के रूप में संधारित किए जाते हैं, तथा प्राप्तियाँ एवं भुगतान प्रशासकों के व्यक्तिगत बही खाते (लेजर) में दर्ज किए जाते हैं। आगे, मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के नियम 543 के अनुसार, व्यक्तिगत जमा खातों में शेष राशियाँ, जो समेकित निधि को नामे (डेबिट) कर खातों में जमा (क्रेडिट) कर अंतरित की गयी हैं, को वित्त वर्ष की समाप्ति के पूर्व समेकित निधि को वापस अंतरित करना चाहिए तथा यदि ऐसी संभावना उत्पन्न होती है तो आगामी वर्ष में व्यक्तिगत जमा खाता पुनः खोला जा सकता है।

व्यक्तिगत जमा खाते जो लगातार तीन वर्षों तक असंचालित रहते हैं, उन्हें कोषालय अधिकारी द्वारा बंद कर दिया जाना चाहिए एवं शेषों को निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर शासकीय खाते में अंतरित कर दिया जाना चाहिए।

31 मार्च 2019 को व्यक्तिगत जमा खातों की स्थिति नीचे तालिका 3.1 में दी गयी है:

तालिका 3.1: 31 मार्च 2019 को व्यक्तिगत जमा खातों की स्थिति								(₹ करोड़ में)
प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान वृद्धि		वर्ष के दौरान व्यक्तिगत जमा खातों से व्यय		अंतशेष		
संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	
847	5,370.06	168	4,868.83	284	6,300.41	731	3,938.48	

(स्रोत: वर्ष 2018–19 के वित्त लेखे)

व्यक्तिगत जमा खातों से संबंधित लेखापरीक्षा टिप्पणी इस प्रकार हैं:

3.2.1 असंचालित व्यक्तिगत/शैक्षणिक जमा खाते

जिला कोषालयों के अभिलेखों की संवीक्षा (दिसम्बर 2018 से सितम्बर 2019) से परिलक्षित हुआ कि 12 कोषालयों में 88 व्यक्तिगत जमा/शैक्षणिक जमा खाते ₹22.13 करोड़ शेष के साथ तीन से अधिक वर्षों से असंचालित थे। विवरण नीचे तालिका 3.2 में दिया गया है।

तालिका 3.2: मार्च 2019 को असंचालित व्यक्तिगत जमा/शैक्षणिक जमा खातों का विवरण			
(₹ लाख में)			
संक्र.	कोषालय का नाम	व्यक्तिगत जमा/शैक्षणिक जमा खातों की संख्या	राशि
1	दतिया	02	31.30
2	रायसेन	02	4.67
3	होशंगाबाद	07	2.56
4	खण्डवा	02	0.69
5	जिला कोषालय, भोपाल	04	416.23
6	वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल	10	1,202.99
7	सीहोर	03	2.62
8	धार	02	3.70
9	टीकमगढ़	20	83.34
10	सागर	26	124.22
11	बड़वानी	04	208.08
12	भिण्ड	06	132.74
योग		88	2,213.14

(स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—I, मध्य प्रदेश द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

तथापि, मध्य प्रदेश कोषालय संहिता अधिनियम के गैर—अनुपालना में, व्यक्तिगत जमा/शैक्षणिक जमा खातों की शेष राशियों को राजस्व जमा लेखों में अंतरण नहीं किया गया।

निर्गम सम्मेलन (फरवरी 2020) के दौरान अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि असंचालित व्यक्तिगत जमा खातों को बंद करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।

3.2.2 शासकीय धन को अनधिकृत रूप से बैंक खातों में रखा जाना

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के नियम 9 के अनुसार, शासन की विशेष अनुमति को छोड़कर, शासकीय सेवक राज्य की समेकित निधि और लोक लेखा से आहरित धनराशि बैंक में जमा नहीं कर सकता है। आगे, वित्त विभाग ने अनुदेश जारी (मार्च 2015) किए कि भूमि अधिग्रहण के लिए बैंक खातों में रखी गई निधियों को आहरित कर व्यक्तिगत जमा खातों में जमा किया जाना चाहिए।

जिलाध्यक्ष, नरसिंहपुर (जुलाई 2019), सतना (अक्टूबर 2019) एवं अशोक नगर (अक्टूबर 2019) के अभिलेखों की नमूना जाँच से परिलक्षित हुआ कि भू—अर्जन से संबंधित राशि ₹13.78 करोड़ 10³⁷ बैंक खातों में पड़ी हुई थी। धन की प्राप्ति भूमि के अधिग्रहण के विरुद्ध मुआवजे के भुगतान के लिए हुई थी और इसे व्यक्तिगत जमा खाते में रखा जाना चाहिए था।

इस ओर इंगित किये जाने पर, भू—अर्जन अधिकारी/जिलाध्यक्ष, सतना, नरसिंहपुर, अशोक नगर ने उत्तर दिया कि संबंधित बैंक खातों को बंद करने की कार्रवाई की जाएगी।

³⁷ (1) बैंक ऑफ बडोदा, नरसिंहपुर: ₹0.50 करोड़, (2) मध्यांचल ग्रामीण बैंक, बडा इटमा: ₹0.51 करोड़, (3) इलाहाबाद बैंक, अमदरा: ₹0.76 करोड़, (4) इलाहाबाद बैंक, झुकेही: ₹0.24 करोड़ (5) इलाहाबाद बैंक, उछेरा: ₹0.96 करोड़, (6) इलाहाबाद बैंक, मैहर: ₹0.83 करोड़, (7) मध्यांचल ग्रामीण बैंक, कुसेडी: ₹1.12 करोड़, (8) मध्यांचल ग्रामीण बैंक, देवीजी अरकंडी: ₹0.53 करोड़, (9) बैंक ऑफ बडोदा, सतना: ₹8.11 करोड़, (10) पंजाब नेशनल बैंक, अशोकनगर: ₹0.22 करोड़।

भू-अर्जन से संबंधित राशि को बैंक खातों में जमा करना, शासकीय निर्देशों की अवहेलना के अलावा लोक निधि का दुरुपयोग और धोखाधड़ी के जोखिम से भरा है।

3.2.3 व्यक्तिगत जमा खाते का अनुचित संचालन

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता खण्ड-1 यह प्रावधान करता है कि, जब तक किसी कानून, नियम या कानूनी आदेश द्वारा अन्यथा स्पष्ट रूप से प्राधिकृत न किया जाए, वित्त विभाग की सहमति के बिना संचित निधि तथा लोक लेखा से धन निवेश या अन्यत्र जमा करने के लिए निकाले नहीं जा सकते।

पंचायत राज संचालनालय, भोपाल के अभिलेखों की नमूना जांच (अगस्त 2018 एवं मई 2019) के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि पंचायत राज संचालनालय ने ई-भुगतान के माध्यम से ग्राम पंचायतों को भुगतान करने के लिए वित्त विभाग के अनुमोदन से एक व्यक्तिगत जमा खाता (मार्च 2015) खोला था। तथापि, पंचायत राज संचालनालय ने 2016–18 के दौरान ₹771.29 करोड़, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (अक्टूबर 2016 में ₹100 करोड़), स्वच्छ भारत मिशन (नवंबर 2016 में ₹100 करोड़) एवं प्रधान मंत्री आवास योजना (जुलाई 2017 में ₹571.29 करोड़) को उधार दिए थे। इन योजनाओं के लिए धन उधार देने की सहमति वित्त विभाग से प्राप्त नहीं की गई थी। ₹771.29 करोड़ में से मात्र ₹252.34 करोड़ की ही प्रतिपूर्ति हुई थी। शेष ₹518.95 करोड़ की प्रतिपूर्ति 31 मार्च 2019 की स्थिति में होनी अभी बाकी थी।

इस ओर इंगित किए जाने पर, पंचायत राज संचालनालय ने बताया (जून 2019) कि विभागीय व्यक्तिगत जमा खाते में शेष राशि ₹518.95 करोड़ की प्रतिपूर्ति हेतु विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

3.3 भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर

मध्य प्रदेश शासन ने भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अनुसार मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का गठन (अप्रैल 2003) किया। मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अधिनियम के अनुसार, मण्डल को कर्मकारों की कार्य स्थितियाँ सुधारने एवं उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से निर्माण की लागत के एक प्रतिशत की दर से संग्रहित उपकर प्राप्त करने का हकदार है।

3.3.1 उपकर का लेखांकन

श्रम उपकर के संबंध में शासकीय विभागों द्वारा अपनाई गई लेखांकन प्रक्रिया में कोई एकरूपता नहीं है। उदाहरण के लिये लोक निर्माण विभाग के संभागों द्वारा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर को ठेकेदारों के चल देयकों में से कटौती कर मुख्य शीर्ष 8443–108—लोक निर्माण जमा के अंतर्गत क्रेडिट किया जाता है। तथापि ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभागों द्वारा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर को मुख्यशीर्ष 0230—श्रम एवं रोजगार लघु शीर्ष 101—श्रम कानून से प्राप्तियों में दर्ज किया जाता है। भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर के लेखांकन के लिये मुख्य शीर्ष 8443–108 अथवा मुख्य शीर्ष 0230–101 के अंतर्गत कोई विशिष्ट उपशीर्ष नहीं है। इसलिए उपकर की वास्तविक संग्रहित राशि एवं तत्पश्चात मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल को अंतरित की गई राशि सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम की धारा 27(1) के अनुसार मण्डल को लेखों एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों का उचित संधारण तथा लेखों के वार्षिक विवरण पत्रक तैयार करना होता है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि मण्डल ने 2013–14 से लेखे तैयार नहीं किये थे। 2014–19 के दौरान श्रम उपकर की प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण **तालिका 3.3** में दिया गया है।

वर्ष	प्रारंभिक शेष	तालिका 3.3: 2014–19 के दौरान उपकर की प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण							(₹ करोड़ में)
		उपकर की संग्रहित राशि	पंजीकरण प्रभार	जमाओं पर ब्याज	कुल उपलब्ध निधियाँ	व्यय	अंतिम शेष	उपलब्ध निधियों की उपयोगिता का प्रतिशत	
2014-15	788.17	303.93	0.01	82.72	1,174.83	63.00	1,111.83	5.36	
2015-16	1,111.83	286.44	0.001	65.20	1,463.47	120.18	1,343.29	8.21	
2016-17	1,343.29	346.99	0.00008	56.93	1,747.21	261.17	1,486.04	14.95	
2017-18	1,486.04	281.95	0.0003	67.84	1,835.83	260.16	1,575.67	14.17	
2018-19	1,575.67	351.90	0.0006	50.58	1,978.15	349.52	1,628.63	17.67	

(स्रोत: मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

मण्डल के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा एवं प्रस्तुत की गई जानकारी से निम्नलिखित परिलक्षित हुआ:

- (i) मण्डल द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, 31 मार्च 2019 की स्थिति में ₹1,628.63 करोड़ की राशि उपलब्ध थी। तथापि ₹1,777.75 करोड़ बैंक खातों में रखे गये थे। ₹149.12 करोड़ के अन्तर के मिलान की आवश्यकता है।
- (ii) प्राप्त निधियों से निर्मित परिसम्पत्तियों का विवरण मण्डल की अचल सम्पत्ति पंजी में लेखांकित नहीं किया गया था, जिसके अभाव में, निर्मित परिसम्पत्तियों के भौतिक अस्तित्व एवं उनकी स्थिति को सत्यापित नहीं किया जा सका।

इस ओर इंगित किये जाने पर (अक्टूबर 2019), मण्डल ने उत्तर दिया कि मण्डल खातों और बैंक खातों के बीच के अन्तरों का मिलान किया जाएगा और भविष्य में प्रविष्टियाँ की जाएंगी। मण्डल ने भी लेखापरीक्षा की आपत्ति को स्वीकार किया और कहा कि भविष्य में अचल सम्पत्ति पंजी तैयार की जाएगी।

यद्यपि विगत वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में ऐसे प्रकरणों को इंगित किया गया था, मण्डल द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गयी थी।

3.3.2 श्रम उपकर की उपयोगिता

राज्य शासन ने भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण निधि से कर्मकारों के लाभ के लिए विभिन्न योजनाएँ/गतिविधियाँ अर्थात् मातृत्व हितलाभ, पेंशन, घरों के क्रय/निर्माण के लिए अग्रिम, अंत्येष्टि सहायता, चिकित्सा सहायता, मेधावी छात्रों के लिए नकद पुरस्कार, हितग्राहियों के बच्चों की शिक्षा/विवाह के लिए वित्तीय सहायता इत्यादि अधिसूचित की थी। 2014–19 के पांच वर्ष की अवधि दौरान इस संबंध में व्यय का विवरण **तालिका 3.4** में दिया गया है।

वर्ष	उपलब्ध निधियाँ	तालिका 3.4: उपलब्ध निधियों के सापेक्ष योजनाओं पर व्यय				(₹ करोड़ में)	
		योजनाओं का बजट आवंटन	संचालित योजना	पंजीकृत कर्मकार	सम्मिलित कर्मकार		
	योजनाओं की संख्या	आवंटन	योजनाओं की संख्या	वास्तविक व्यय			
2014-15	1,174.83	15	86.80	8	58.59	24,65,939	3,14,298
2015-16	1,463.47	20	125.80	17	101.24	24,81,926	5,16,958
2016-17	1,747.21	26	151.60	24	240.06	25,28,255	4,25,448
2017-18	1,835.83	24	233.10	21	287.98	25,87,175	4,98,182
2018-19	1,978.15	24	76.01	24	316.83	12,19,230	3,63,289
योग		109	673.31	94	1,004.70	1,12,82,525	21,18,175

(स्रोत: मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल द्वारा प्रदाय की गई जानकारी)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि 2018–19 के दौरान मण्डल उपलब्ध निधियों का केवल 15 प्रतिशत का उपयोग कर सका एवं विभिन्न योजनाओं जैसे शिक्षा, छात्रवृत्ति, आवास, चिकित्सा सहायता आदि के अंतर्गत केवल 30 प्रतिशत पंजीकृत कर्मकार लाभान्वित हुए। इस प्रकार, उपलब्ध निधियों में से धनराशि ₹1,737.33 करोड़ का उपयोग न करने के कारण लगभग 70 प्रतिशत पंजीकृत कर्मकार विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभ पाने से वंचित रहे।

उत्तर में, मण्डल ने बताया (मार्च 2020) कि मण्डल द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को योजना के अंतर्गत आवेदन करने पर पात्रता के अनुसार दिया जाता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मण्डल को लाभार्थियों के बीच योजनाओं के लाभ के बारे में जागरूकता सृजित करनी चाहिए थी तथा सुनिश्चित करना चाहिए था कि नियोजित लाभ समस्त लक्षित लाभार्थियों हेतु उपलब्ध था।

3.3.3 कालातीत चेकों के कारण देय राशि की वसूली न होना

बैंकिंग मानदंडों के अनुसार, एक चेक जारी होने की तिथि से तीन माह के लिए वैध होता है, जिसके पश्चात् वह कालातीत हो जाता है।

मण्डल अपने क्षेत्रीय कार्यालयों से चेक प्राप्त करता है और इन्हें अपने बैंक खातों में जमा करता है। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि, 2003–04 से 2018–19 की अवधि में ₹15.51 करोड़ के 1621 चेक कालातीत हुए।

यद्यपि पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में ऐसे प्रकरण प्रतिवेदित किए गए थे, लेकिन मण्डल ने कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है।

मण्डल ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2019) कि कालातीत चेकों को सम्बन्धित एजेंसियों/विभागों को नवीनीकरण के लिए वापस किया गया था और उनकी प्राप्ति के पश्चात मण्डल के बैंक खातों में जमा किया जाएगा।

प्रतिक्रिया उत्साहविहीन है तथा अपने बकायों की वसूली के लिए कोई तात्कालिकता का भाव या भविष्य में ऐसे प्रकरणों से बचने के लिए उपयुक्त नियंत्रण स्थापित करने की कोई विशिष्ट कार्य योजना को प्रदर्शित नहीं करता है।

3.3.4 लंबित उपयोगिता प्रमाण—पत्र

सामान्य वित्तीय नियमावली का नियम 238(1) प्रावधान करता है कि जिन संस्थानों या संगठनों ने अनुदान प्राप्त किए हैं उनके द्वारा वित्तीय वर्ष समाप्त होने के 12 माह के भीतर उपयोगिता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किए जाने चाहिए। मण्डल ने श्रम कार्यालयों को निधियां प्रदान की और श्रम कार्यालयों ने उन निधियों को संबंधित कार्यान्वयन कार्यालयों को भेज दिया। आवंटन पत्र के अनुसार आवंटित निधियों से संबंधित उपयोगिता प्रमाण—पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किये जाने थे।

मण्डल के अभिलेखों की नमूना जाँच (अक्टूबर 2019) के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि मण्डल द्वारा 2018–19 के दौरान श्रम विभाग के 51 जिला कार्यालयों को राशि ₹76.02 करोड़ आवंटित की गयी थी तथा यही राशि विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को अंतरित की गयी थी। तथापि, 31 मार्च 2019 की स्थिति में, जिला कार्यालयों से राशि ₹44.74 करोड़ (58.85 प्रतिशत) के उपयोगिता प्रमाण—पत्र लंबित थे। लंबित उपयोगिता प्रमाण—पत्रों का विवरण **परिशिष्ट 3.1** में दिया गया है।

इस ओर इंगित किये जाने पर (अक्टूबर 2019), मण्डल ने उत्तर दिया कि सभी जिला कार्यालयों से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा था।

3.3.5 आयकर अधिनियम का गैर-अनुपालन

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (रोजगार एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 26 के अनुसार मण्डल विगत वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी गतिविधियों का पूर्ण विवरण देते हुए अपना वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा। इसका अर्थ है कि लेखे प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर के पूर्व अर्थात् आयकर रिटर्न भरने की देय तिथि से पूर्व तैयार एवं लेखापरीक्षित होने चाहिए।

मण्डल को आयकर विभाग की धारा 10(23 सी)(iv) के अंतर्गत आय पर छूट इस मुख्य शर्त के अधीन प्राप्त (अक्टूबर 2007) थी कि "मण्डल नियमित रूप से आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान के अनुसार अपना आयकर रिटर्न दाखिल करेगा।"

आयकर अधिनियम की धारा 139 (1) के अनुसार करदाता को अपनी आय का रिटर्न प्रत्येक निर्धारण वर्ष के 30 सितंबर से पूर्व दाखिल करना होता है। धारा 244 (क) कहता है कि निर्धारण वर्ष के पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के दौरान जहां वापसी धारा 206 (ग) के अंतर्गत स्रोत पर एकत्रित किसी कर में से है या अग्रिम कर के रूप में भुगतान किया गया हो या धारा 199 के अंतर्गत भुगतान हो, ऐसे ब्याज की गणना उस अवधि में शामिल प्रत्येक माह या माह के भाग के लिए आधे प्रतिशत की दर से की जाएगी।

मण्डल के अभिलेखों की नमूना जांच (जुलाई 2018) के दौरान, यह देखा गया कि बैंक मण्डल की जमा राशि के ब्याज पर टी.डी.एस. की कटौती कर रहा था। आगे, लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2012–13 के लिए मण्डल के लेखे, लेखापरीक्षकों द्वारा मार्च 2018 के दौरान तैयार एवं प्रमाणित किए गए थे। तथापि वर्ष 2012–13 (निर्धारण वर्ष 2013–14) के लिए आयकर रिटर्न मार्च 2019 की स्थिति में नहीं भरे गए थे जबकि, इसे 30 सितंबर 2013 तक भर दिया जाना चाहिए था। मण्डल ने वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2018–19 के लिए अपने लेखों को तैयार नहीं किया था। वित्त वर्ष 2012–13 से 2018–19 तक रिटर्न ना भरने के कारण मण्डल, 38 टी.ए.एन. कटौतीकर्ता के संबंध में बैंकों द्वारा स्रोत पर की गई कटौती राशि ₹5.10 करोड़ के आयकर वापसी का दावा करने में विफल रहा। विवरण **परिशिष्ट 3.2** में दिया गया है।

उत्तर में, मण्डल ने बताया (मार्च 2019 एवं अक्टूबर 2019) कि वर्ष 2013–14 से 2017–18 के लेखे सनदी लेखाकारों द्वारा तैयार किए जा रहे थे, जिसके कारण आयकर रिटर्न नहीं भरा जा सका तथा मण्डल ने आयकर विभाग द्वारा दी गई छूट एवं 2009 की रिट याचिका 426 पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश जो प्रावधान करता है कि मण्डल के ब्याज की आय से स्रोत पर कोई कटौती नहीं की जाएगी के आधार पर टी.डी.एस की कटौती नहीं करने के लिए बैंकों को कई पत्र लिखे (मार्च 2013 से अक्टूबर 2013) थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मण्डल ने 2014–15 से 2018–19 तक बैंक से संपर्क नहीं किया तथा अपने लेखे समय से तैयार करने में भी विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप आयकर रिटर्न भरने में असमर्थ रहा।

निर्गम सम्मेलन (फरवरी 2020) के दौरान अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि इन प्रकरणों को संबंधित विभागों के साथ उठाया जाएगा।

3.4 शासकीय लेखों में अपारदर्शिता—लघु शीर्ष 800 का परिचालन


अन्य प्राप्तियां/अन्य व्यय से संबंधित सर्वग्राही लघु शीर्ष 800 का परिचालन मात्र उन प्रकरणों में किया जाना है जहां लेखों में मुख्य शीर्ष के अंतर्गत उपयुक्त लघु शीर्ष प्रदान नहीं किया गया है। यदि ऐसे प्रकरण नियमित आधार पर हों, तो यह राज्य शासन का उत्तरदायित्व है कि वो प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) से इस पर चर्चा करें तथा उपयुक्त लघु शीर्ष खोलने के लिए अनुमोदन प्राप्त करें। लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्राप्तियों एवं व्यय की विवेकहीन पुस्तकीकरण लेनदेनों की प्रकृति एवं पारदर्शिता को प्रभावित करता है, तथा लेखों को अपारदर्शी बनाता है।

51 राजस्व शीर्षों के अंतर्गत दर्ज ₹34,831.64 करोड़ (कुल राजस्व प्राप्तियां ₹1,48,892.79 करोड़ का 23.39 प्रतिशत) की प्राप्तियों को लेखों में लघु शीर्ष '800—अन्य प्राप्तियां' के अंतर्गत


वर्गीकृत किया गया था। इसी प्रकार से विभिन्न मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 43 राजस्व एवं 23 पूँजीगत मुख्य शीर्ष में दर्ज ₹30,676.59 करोड़ (कुल व्यय ₹1,71,573.40 करोड़ का 17.88 प्रतिशत) के व्यय को लेखों में लघु शीर्ष '800 अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।

2014–19 के दौरान प्राप्तियों एवं व्यय के लिए लघु शीर्ष 800 के परिचालन की सीमा कुल प्राप्तियों एवं व्यय के प्रतिशत के रूप में **चार्ट 3.1** एवं **3.2** में दिया गया है।

चार्ट 3.1: लघु शीर्ष 800 के परिचालन की सीमा कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में (₹ करोड़ में)



चार्ट 3.2: लघु शीर्ष 800 के परिचालन की सीमा कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में (₹ करोड़ में)



दृष्टांत जहाँ प्राप्तियों/व्यय के सारभूत भाग (संबंधित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल प्राप्तियों/व्यय का 10 प्रतिशत या उससे अधिक) को लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों/व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत

किया गया था, **परिशिष्ट 3.3** एवं **3.4** में दिया गया है और **तालिका 3.5** में सारांशीकृत किया गया है।

तालिका 3.5: लघु शीर्ष 800—‘अन्य प्राप्तियाँ’ एवं ‘अन्य व्यय’ के अंतर्गत पुस्तांकित राशि

विवरण	प्राप्तियाँ		व्यय	
	राशि (₹ करोड़ में)	लेखा शीर्ष	राशि (₹ करोड़ में)	लेखा शीर्ष
100 प्रतिशत	917.47	0056, 0059, 0217, 0702, 0801, 0852, 1452	681.96	2250, 2852, 4070, 4408, 4875, 5425
75 प्रतिशत एवं 99 प्रतिशत के मध्य	27,267.00	0049, 0202, 0211, 0220, 0235, 0435, 1601	14,288.94	2075, 2217, 2702, 4515, 4700, 4701
50 प्रतिशत एवं 74 प्रतिशत के मध्य	1,027.04	0029, 0210, 0401, 0403, 0406, 0515, 0701	8,679.25	2204, 2401, 2705, 2851, 4225, 4853
25 प्रतिशत एवं 49 प्रतिशत के मध्य	1,634.19	0215, 0405, 0425, 0700 0853, 1054	3,777.59	4215, 4217, 3454, 4403, 4702, 5054
10 प्रतिशत एवं 24 प्रतिशत के मध्य	3,664.65	0030, 0039, 0043, 0055, 0070, 0071, 0230, 0851	2,016.32	2245, 2403, 2405, 2515, 2700, 2701, 3054, 4055, 4202, 4705, 4801
10 प्रतिशत से कम	321.29	अन्य मुख्य शीर्ष	1,232.53	अन्य मुख्य शीर्ष
योग	34,831.64		30,676.59	

(झोत: वर्ष 2018–19 के वित्त लेखे)

नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में यह प्रकरण प्रति वर्ष चिन्हित किए गए हैं। जबकि 2018–19 (23.39 प्रतिशत) के दौरान इस लघु शीर्ष के अंतर्गत प्राप्ति पक्ष में विगत वर्ष (26.31 प्रतिशत) की तुलना में राशियों में पार्श्वक कमी रही है, वहीं व्यय पक्ष में यह कुल व्यय का 2017–18 में 15.34 प्रतिशत से बढ़कर 2018–19 के दौरान 17.88 प्रतिशत हो गया था। तथ्य यह है कि संबंधित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियों एवं व्यय के ऐसे सारभूत अनुपात लघु शीर्ष 800 में पुस्तांकित किये जाते हैं, जो गंभीर चिंता का कारण है क्योंकि यह गंभीर रूप से पारदर्शिता को प्रभावित करता है।

3.5 आयोजना/आयोजनेतर के अन्तर्गत उप मुख्य शीर्ष का गलत संचालन

भारत सरकार ने यह अधिसूचित किया कि 01.04.2017 से निम्नलिखित लेखाशीर्ष क्रियाशील नहीं रहेंगे, जैसा कि **तालिका 3.6** में दिया गया है।

तालिका 3.6: अक्रियाशील लेखाशीर्ष			
मुख्य शीर्ष 1601 के अंतर्गत सहायता अनुदान		मुख्य शीर्ष 6004 के अंतर्गत कर्ज एवं अग्रिम	
उप मुख्य शीर्ष	विवरण	उप मुख्य शीर्ष	विवरण
उप मुख्य शीर्ष—01	योजनेतर अनुदान	उप मुख्य शीर्ष—01	योजनेतर ऋण
उप मुख्य शीर्ष—02	राज्य/संघ क्षेत्र की योजनागत योजनाओं के लिये अनुदान	उप मुख्य शीर्ष—02	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिये कर्ज
उप मुख्य शीर्ष—03	केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के लिये अनुदान	उप मुख्य शीर्ष—03	केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के लिये ऋण
उप मुख्य शीर्ष—04	केन्द्र द्वारा समर्थित योजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	उप मुख्य शीर्ष—04	केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनागत योजनाओं के लिए ऋण
उप मुख्य शीर्ष—05	विशेष योजनागत योजनाओं के लिये अनुदान	उप मुख्य शीर्ष—05	विशेष योजनाओं के लिये ऋण
		उप मुख्य शीर्ष—06	अर्थोपाय अग्रिम
		उप मुख्य शीर्ष—07	1984–85 से पूर्व के ऋण

वित्त लेखे 2018–19 की संवीक्षा से परिलक्षित हुआ कि राज्य शासन द्वारा बजट में इन शीर्षों के अंतर्गत निधियों के आवंटन के कारण इनमें से कुछ उप—मुख्य शीर्ष तथा लघु शीर्ष वर्ष के दौरान संचालित किए जा रहे थे। वित्त लेखे 2018–19 के अनुसार, राशि ₹25,758.68 करोड़, जैसा कि

तालिका 3.7 में वर्णित है तथा ₹3,795.78 करोड़ क्रमशः मुख्य शीर्ष 1601 एवं 6004–02–101 के अंतर्गत पुस्तांकित किये गये थे, जो कि गलत था।

तालिका 3.7: 1601—केंद्र सरकार से सहायता अनुदान		
		(₹ करोड़ में)
उप मुख्य शीर्ष तथा उसके अंतर्गत लघु शीर्ष	विवरण	2018–19 के दौरान प्राप्ति
उप मुख्य शीर्ष—01	योजनेतर अनुदान	
लघु शीर्ष—109	राज्य आपदा मोचन निधि में योगदान के लिए अनुदान	914.40
लघु शीर्ष—110	राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से अनुदान	334.00
लघु शीर्ष—800	अन्य अनुदान	3,671.93
उप मुख्य शीर्ष—02	राज्य/संघ क्षेत्र की योजनागत योजनाओं के लिये अनुदान	
लघु शीर्ष—101	एक मुश्त अनुदान	63.75
लघु शीर्ष—104	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान	246.26
लघु शीर्ष—800	अन्य अनुदान	20,511.21
उप मुख्य शीर्ष—03	केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिये अनुदान	
लघु शीर्ष—800	अन्य अनुदान	17.13
योग—1601		25,758.68

(स्रोत: वर्ष 2018–19 के वित्त लेखे)

3.6 उपयोगिता प्रमाण—पत्रों की अप्रस्तुति

वित्तीय नियम विनिर्दिष्ट करते हैं कि सशर्त अनुदानों के प्रकरण में संस्वीकृति प्राधिकारी द्वारा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को संबंधित अनुदान वर्ष के अगले वर्ष के 30 सितम्बर या उससे पूर्व अनुदान की उचित उपयोगिता के बारे में एक औपचारिक उपयोगिता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया जाना है। बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति **तालिका 3.8** में दी गयी है। आगे, विवरण **परिशिष्ट 3.5** में दिया गया है।

तालिका 3.8: बकाया उपयोगिता प्रमाण—पत्र				
वर्ष	31 मार्च 2018 की स्थिति		31 मार्च 2019 की स्थिति	
	बकाया उपयोगिता प्रमाण—पत्रों की संख्या	निहित राशि	बकाया उपयोगिता प्रमाण—पत्रों की संख्या	निहित राशि
2016-17 तक	20,666	17,793.21	20,253	13,978.51
2017-18	-	-	-	-
2018-19	-	-	25	492.11
योग	20,666	17,793.21	20,278	14,470.62

(स्रोत: वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 के वित्त लेखे)

31 मार्च 2019 को ₹14,470.62 करोड़ के कुल 20,278 उपयोगिता प्रमाण—पत्र, जो कि देय है, 25 विभागों द्वारा प्रदान किए गए सहायता अनुदानों के विरुद्ध राज्य के प्राधिकारियों एवं निकायों द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए थे। अतः कोई निश्चितता नहीं है कि ₹14,470.62 करोड़ का व्यय वास्तव में उस उद्देश्य के लिए किया गया जिसके लिए यह विधान मंडल द्वारा स्वीकृत/प्राधिकृत किया गया था। 31 मार्च 2019 को 85.74 प्रतिशत राशि के लंबित उपयोगिता प्रमाण—पत्र पांच विभागों यथा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास (60.19 प्रतिशत—राशि ₹8,711.00 करोड़ के 1,268 उपयोगिता प्रमाण पत्र), खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण (15.11 प्रतिशत—राशि ₹2,186.80 करोड़ के 1,453 उपयोगिता प्रमाण पत्र), सामाजिक कल्याण (5.17 प्रतिशत—राशि ₹748.03 करोड़ के 1,143 उपयोगिता प्रमाण पत्र), कृषि (3.04 प्रतिशत—राशि ₹439.99 करोड़ के 3,090 उपयोगिता प्रमाण—पत्र) एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास (2.22 प्रतिशत—राशि ₹321.34 करोड़ के 684 उपयोगिता प्रमाण—पत्र) से संबंधित है।

उपयोगिता प्रमाण पत्रों की उच्च लंबमानता निधियों के दुर्विनियोग एवं धोखाधड़ी के जोखिम से भरा है। नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में वर्ष दर वर्ष इस प्रकरण पर राज्य शासन का ध्यान आकर्षित करने/खींचने के बावजूद भी इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है।

3.7 दुर्विनियोग, हानियाँ एवं गबन इत्यादि की सूचना

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता खण्ड-1 का नियम 22(1) प्रावधान करता है कि गबन अथवा अन्य कारण से किसी लोक धन की हानि की सूचना तत्काल प्रधान महालेखाकार को दी जानी चाहिए, भले ही जिम्मेदार पक्ष द्वारा इस हानि की पूर्ति कर दी गई हो।

राज्य शासन ने 31 मार्च 2019 तक दुर्विनियोग, हानियाँ, गबन इत्यादि के 3,232 प्रकरण सूचित किये थे जिनमें ₹38.69 करोड़ समाविष्ट थे, जिन पर जून 2019 तक अंतिम कार्रवाई लंबित थी। इन प्रकरणों में से 2018–19 के दौरान ₹4.63 करोड़ के 522 प्रकरण सूचित किये गये थे। मुख्य शीर्ष 2406—वानिकी तथा वन्य जीवन एवं 2054—कोषालय एवं लेखा प्रशासन में क्रमशः 2,678 प्रकरण (₹16.41 करोड़) एवं 11 प्रकरण (₹8.30 करोड़) वसूली/नियमितीकरण हेतु लंबित थे। वर्ष 2018–19 के अंत में दुर्विनियोग, हानि, गबन इत्यादि के लंबित प्रकरणों का मुख्य शीर्षवार/अवधिवार विवरण **परिशिष्ट 3.6** में दिया गया है। इन प्रकरणों का मुख्य शीर्षवार और अनियमितता की प्रकृति के अनुसार विवरण **परिशिष्ट 3.7** में दिया गया है। लंबित प्रकरणों की अवधिवार रूपरेखा अनियमितता की प्रकृति सहित तालिका 3.9 एवं तालिका 3.10 में सारांशीकृत किया गया है।

तालिका 3.9: लंबित प्रकरणों की अवधिवार रूपरेखा

विस्तार वर्षों में	प्रकरणों की संख्या	(₹ करोड़ में) समाविष्ट राशि
0 – 5	873	9.74
5 – 10	233	13.54
10 – 15	291	6.58
15 – 20	386	3.67
20 – 25	274	1.91
25 और उससे अधिक	1,175	3.25
योग	3,232	38.69

(स्रोत: संबंधित विभागों द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

तालिका 3.10: दुर्विनियोग, हानि, गबन इत्यादि की श्रेणीवार रूपरेखा

लंबित प्रकरणों की प्रकृति	प्रकरणों की संख्या	(₹ करोड़ में) समाविष्ट राशि
चोरी	161	6.12
दुर्विनियोग / सामग्री की हानि	3,071	32.57
योग	3,232	38.69

(स्रोत: संबंधित विभागों द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

आगे विश्लेषण से प्रकट हुआ कि प्रकरण तालिका 3.11 में दर्शाये गये कारणों से बकाया थे।

तालिका 3.11: दुर्बिनियोग, हानि, गबन इत्यादि के बकाया प्रकरणों के कारण			
(₹ करोड़ में)			
स.क्र.	विलंब/बकाया प्रकरणों के कारण	प्रकरणों की संख्या	राशि
(i)	विभागीय एवं आपराधिक अन्वेषण प्रतीक्षित	01	0.04
(ii)	आपराधिक कार्यवाही जिसे अंतिम रूप दिया गया लेकिन राशि की वसूली के लिए प्रमाण-पत्र प्रकरणों का निष्पादन लंबित था	01	0.00*
(iii)	वसूली अथवा अपलेखन हेतु आदेश प्रतीक्षित	3,160	37.59
(iv)	न्यायालयों में लंबित	70	1.06
योग		3,232	38.69

(स्रोत: संबंधित विभागों द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

*राशि ₹ 47,165

जैसा कि उपर्युक्त तालिका 3.11 से देखा जा सकता है, ₹38.69 करोड़ के 3,232 प्रकरणों में से, ₹15.41 करोड़ के 2,126 प्रकरण (66 प्रतिशत) 10 वर्ष से अधिक से लंबित थे। 3,160 प्रकरणों (98 प्रतिशत) में वसूली अथवा अपलेखन के आदेश प्रतीक्षित थे। 3,232 प्रकरणों में से 360 प्रकरणों (जहां तक उपलब्ध) में प्राथमिकी सूचना प्रतिवेदित की गयी।

आगे, वर्ष 2018–19 के दौरान राशि ₹23.75 लाख की हानि के 46 प्रकरणों का अपलेखन किया गया था, जैसा कि परिशिष्ट 3.8 में वर्णित है। 2018–19 के दौरान 545 प्रकरणों से संबंधित राशि ₹22.73 लाख की वसूली की गयी थी तथा शासकीय खाते में जमा कर दी गई थी। विवरण परिशिष्ट 3.9 में दिया गया है।

3.8 रोकड़ शेष में भिन्नता

31 मार्च 2019 की स्थिति में प्रधान महालेखाकार द्वारा संगणित भारतीय रिजर्व बैंक के पास रोकड़ शेष तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिवेदित रोकड़ शेष के मध्य ₹1,360.70 करोड़ (क्रेडिट) का निवल अंतर था। 31 मार्च 2019 की स्थिति में यह अंतर मुख्यतः 2006–07 से कोषालय स्तर पर 516 प्रकरण एवं 2008–09 से रिजर्व बैंक के स्तर पर 362 प्रकरण के मिलान न होने के कारण है तथा मिलान के अधीन है।

3.9 विभागीय प्राप्तियों एवं व्यय का मिलान

मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिका 24.9.3 के अनुसार, सभी नियंत्रण अधिकारियों को शासन की प्राप्तियों एवं व्यय का महालेखाकार द्वारा लेखांकित राशि के साथ मिलान करना अपेक्षित है। यह नियंत्रण अधिकारियों को व्यय पर प्रभावी नियंत्रण करने एवं उनके बजटरी आवंटन का दक्षतापूर्वक प्रबंधन करने तथा उनके लेखों की सटीकता सुनिश्चित करने में सक्षम करने के लिए है।

2018–19 के दौरान मार्च 2019 तक सभी 124 नियंत्रण अधिकारियों ने व्यय ₹84,586.64 करोड़ ("लोक ऋण" के अंतर्गत पुनर्भुगतान को छोड़कर कुल व्यय ₹1,72,663.06 करोड़ का 48.99 प्रतिशत) एवं प्राप्ति ₹20,768.47 करोड़ ("लोक ऋण" के अंतर्गत प्राप्तियों को छोड़कर कुल प्राप्ति ₹1,48,975.71 करोड़ का 13.94 प्रतिशत) का अंशतः मिलान किया है।

नियंत्रण अधिकारियों की संख्या तथा विगत तीन वर्षों के दौरान मिलान की सीमा से संबंधित विवरण तालिका 3.12 में दिया गया है।

तालिका 3.12 प्राप्तियों एवं व्यय के आंकड़ों के मिलान की स्थिति							
वर्ष	नियंत्रण अधिकारियों की कुल संख्या	पूर्णतः मिलान	आंशिक मिलान	मिलान नहीं हुआ	कुल प्राप्तियाँ /व्यय	मिलान की गई प्राप्तियाँ/व्यय	(₹ करोड़ में) मिलान का प्रतिशत
							प्राप्तियाँ
2016-17	117	10	04	103	1,24,103.04	3,806.56	3.07
2017-18	117	08	27	82	1,41,881.03	25,914.75	18.27
2018-19	124	01	10	113	1,48,975.71	20,768.47	13.94
व्यय							
2016-17	117	19	85	13	1,51,766.61	53,985.77	35.57
2017-18	117	22	91	04	1,63,802.35	80,505.33	49.15
2018-19	124	08	108	08	1,72,663.06	84,586.64	48.99

(स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–I, मध्य प्रदेश द्वारा प्रदत्त जानकारी)

प्राप्तियों और व्यय का मिलान नहीं किया जाना लेखाओं की शुद्धता और पूर्णता को प्रभावित करता है। नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में नियमित रूप से इस प्रकरण को चिह्नित किए जाने के बावजूद भी कमियां निरंतर जारी हैं।

3.10 अस्थायी अग्रिमों का समायोजन

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के सहायक नियम 53 के अनुसार, अस्थायी अग्रिमों का समायोजन यथाशीघ्र किया जाना चाहिए एवं किसी भी स्थिति में समायोजन में तीन माह से अधिक विलंब नहीं किया जाना चाहिए। आगे, मध्य प्रदेश नगर पालिका लेखा नियम, 1971 का नियम 112(2) निर्दिष्ट करता है कि जब तक व्यय एक माह के भीतर किया जाना संभावित नहीं हो, तब तक कोई अग्रिम आहरित नहीं किया जायेगा।

31 मार्च 2019 की स्थिति में छः³⁸ विभागों द्वारा कुल ₹3.63 करोड़ के 1,955 प्रकरण समायोजन हेतु लंबित थे। सामान्य प्रशासन (निर्वाचन) विभाग (₹3.53 करोड़), के संबंध में ₹ एक करोड़ से अधिक के अस्थायी अग्रिम लम्बित थे। विवरण निम्न तालिका 3.13 में दिया गया है।

तालिका 3.13: मार्च 2019 तक लंबित अग्रिम प्रकरणों का अवधिवार विश्लेषण			
(₹ करोड़ में)			
स.क्र.	लंबित	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	10 वर्ष से अधिक	405	0.14
2	पाँच वर्ष से अधिक एवं 10 वर्ष तक	138	0.57
3	एक वर्ष से अधिक एवं पाँच वर्ष तक	925	2.47
4	एक वर्ष तक	487	0.45
योग		1,955	3.63

(स्रोत: विभागों द्वारा प्रदत्त आंकड़े)

- सात जिलाधीशों नामतः भोपाल, शहडोल, उमरिया, सतना, बालाघाट, टीकमगढ़ एवं सागर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (जुलाई 2018 से अक्टूबर 2019)से परिलक्षित हुआ कि अस्थायी अग्रिम के रूप में यात्रा अग्रिम, चुनाव कार्य, नर्मदा सेवा यात्रा के लिए भोजन प्रदान

³⁸ (1) सामान्य प्रशासन (निर्वाचन) विभाग (₹352.61 लाख), (2) लोक निर्माण विभाग (₹5.03 लाख), (3) सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग (₹0.09 लाख), (4) मत्स्य विभाग (₹1.55 लाख), (5) शिक्षा विभाग (₹2.27 लाख), (6) जन सम्पर्क विभाग (₹1.39 लाख)

करने, अटल ज्योति इत्यादि के लिए प्रदान की गई कुल राशि ₹1.07³⁹ करोड़ के 205 प्रकरण समायोजन के लिए लंबित थे।

उत्तर में, विभाग ने बताया कि अग्रिमों के समायोजन के लिए कार्यवाई की जा रही थी।

- कार्यालय⁴⁰, उप संचालक कृषि (डी.डी.ए.), किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के अभिलेखों की नमूना जांच (जुलाई 2018 से अप्रैल 2019) से परिलक्षित हुआ कि कुल ₹6.57 करोड़ के अस्थायी अग्रिम के 744 प्रकरण जो कि किसान प्रशिक्षण, किसानों के जिला दौरा इत्यादि के लिए प्रदान किए गए थे, समायोजन के लिए लंबित थे।

इस ओर इंगित किए जाने पर उप संचालक, कृषि ने बताया कि अग्रिम समायोजित किए जा रहे थे तथा अग्रिमों के समायोजन के लिए पत्र जारी किए गए थे।

- नगर परिषद (एन.पी.), जीरापुर (राजगढ़) मानपुर (इंदौर), कांताफोड़ (देवास), खजुराहो (छतरपुर) एवं जनपद पंचायत (जे.पी.) पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), बड़नगर (उज्जैन), राजनगर (छतरपुर), पोरसा (मुरैना), नरसिंहगढ़ (राजगढ़) एवं बाघ (धार) के अभिलेखों की नमूना जांच (अक्टूबर 2018 से मार्च 2019) से परिलक्षित हुआ कि नगरीय स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थानों द्वारा 1988 से 2018 के मध्य क्रय करने, निर्माण, वाहनों के रख-रखाव, यात्रा व्यय, बच्चों के विवाह, विविध कार्य इत्यादि के लिए व्यक्तियों को अस्थायी अग्रिम के रूप में प्रदाय राशि ₹1.87⁴¹ करोड़ के 409 प्रकरण समायोजन के लिए लंबित थे।

उत्तर में, आयुक्त/सी.एम.ओ./सी.ई.ओ. ने बताया कि अग्रिमों की राशि व्यक्तियों से वसूली जाएगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मध्य प्रदेश नगर पालिका लेखा नियम के प्रावधानों के अनुसार विभाग द्वारा एक लंबी अवधि बीत जाने के पश्चात भी अस्थायी अग्रिमों की राशि का समायोजन नहीं किया गया था।

3.11 बैंक खातों का अनियमित संधारण

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता के नियम 6 एवं मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के सहायक नियम 284 के अनुसार तत्काल आवश्यकता न होने पर राज्य की समेकित निधि से निधियों का आहरण पूर्णतः प्रतिबंधित है। मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के नियम 9 के अनुसार शासन की विशेष अनुमति को छोड़कर शासकीय सेवक राज्य की संचित निधि और लोक लेखे से आहरित धनराशि बैंक में जमा नहीं कर सकता है। मध्य प्रदेश शासन ने निर्देशित (फरवरी 2009) किया था कि शासकीय कार्यालय जिन्होंने विभिन्न योजनाओं से सम्बंधित निधियां समेकित निधि से आहरित की थी एवं बैंक खातों (वित्त विभाग की अनुमति के बिना खोले गए) में जमा किया था, वे इन बैंक खातों से धन तत्काल आहरित करें एवं इसे वापिस शासकीय खातों में जमा करें।

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, तथा पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 31 मार्च 2019 की स्थिति में दो आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा संचित निधि से दीन दयाल अन्त्योदय मिशन एवं स्व रोजगार योजना इत्यादि के लिए ₹0.22 करोड़

³⁹ (1) कलेक्टर, भोपाल: ₹2.73 लाख, (2) कलेक्टर, शहडोल: ₹4.79 लाख (3) कलेक्टर, उमरिया: ₹41.29 लाख, (4) कलेक्टर, सतना ₹31.99 लाख,(5) कलेक्टर,बालाघाट: ₹15.75 लाख, (6) कलेक्टर, टीकमगढ़ ₹3.56 लाख, (7) कलेक्टर,सागर ₹6.44 लाख

⁴⁰ (1) डीडीए, श्योपुर: ₹11.50 लाख (2) डीडीए, कटनी ₹15.01 लाख, (3)डीडीए, टीकमगढ़: ₹71.58 लाख, (4) डीडीए, होशंगाबाद: ₹247.20 लाख, (5) डीडीए, अलीराजपुर: ₹11.33 लाख, (6) डीडीए, विदिशा: ₹6.73 लाख, (7) डीडीए, अनूपपुर: ₹26.33 लाख, (8) डीडीए, भोपाल: ₹21.26 लाख, (9) डीडीए, सिवनी: ₹38.63 लाख, (10) डीडीए, सीहोर: ₹67.15 लाख, (11) डीडीए, छिंदवाड़ा: ₹18.42 लाख, (12) डीडीए, शहडोल: ₹29.04 लाख, (13) ए.एस.सी.ओ सागर, ₹0.91 लाख, (14) डीडीए, रीवा ₹92.35 लाख

⁴¹ (1) एनपी, राजगढ़ ₹2.52 लाख, (2) एनपी, जीरापुर (राजगढ़): ₹2.35 लाख, (3) एनपी, मानपुर (इंदौर): ₹115.95 लाख, (4) एनपी, कांताफोड़ (देवास) ₹10.30 लाख, (5) एनपी, खजुराहो: ₹11.79 लाख, (6) जेपी, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर): ₹4.65 लाख, (7) जेपी, बड़नगर (उज्जैन): ₹0.72 लाख, (8) जेपी, राजनगर (छतरपुर): ₹2.74 लाख, (9) जेपी, पोरसा (मुरैना): ₹7.35 लाख, (10) जेपी, नरसिंहगढ़ (राजगढ़): ₹1.72 लाख, (11) जेपी, बाघ (धार): ₹27.26 लाख

आहरित किये गये तथा वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त किए बिना तीन बैंक खातों में जमा किए गए थे। विवरण तालिका 3.14 में दिया गया है।

तालिका 3.14: 31 मार्च 2019 की स्थिति में बैंक खातों का विवरण					
संक्र.	विभाग का नाम	कार्यालय का नाम	आहरण एवं संवितरण अधिकारी	बैंक का नाम	(₹ लाख में)
1	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, बड़वानी	उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, बड़वानी	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, झाण्डा चौक, बड़वानी	5.86
				स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, एम.जी. रोड, बड़वानी	2.95
2	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, कटनी	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, कटनी	एक्सेस बैंक, कटनी	13.28
योग					22.09

जिलाध्यक्ष, (अलीराजपुर, धार, बालाघाट, टीकमगढ़, सागर, झाबुआ, देवास, सतना, और रत्लाम) के अभिलेखों की संवीक्षा (जून—अक्टूबर 2019) से परिलक्षित हुआ कि ₹15.78 करोड़ की राशि 11 बैंक खातों में पड़ी हुई थी जो वित्त विभाग की अनुमति प्राप्त किये बिना खोले गए थे। विवरण परिशिष्ट 3.10 में दिया गया है। यद्यपि नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में ऐसे प्रकरण नियमित रूप से इंगित किए गए हैं, लेकिन इनमें कोई सुधार नहीं हुआ है।

जिलाध्यक्ष, (हरदा, बुरहानपुर, कटनी, शाजापुर, छतरपुर एवं अलीराजपुर) के अभिलेखों की नमूना जाँच (जुलाई—अक्टूबर 2019) से परिलक्षित हुआ कि बैंक खातों में उपलब्ध शेष से उपार्जित ब्याज की राशि ₹0.87⁴² करोड़ को शासकीय खाते में जमा नहीं किया गया था।

3.11.1 बजट अनुदानों को व्यपगत होने से रोकने के लिए निधियों को बैंक खाते में रखना

कार्यालय सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विकास विभाग, बैतूल के अभिलेखों की संवीक्षा (मार्च 2019) से परिलक्षित हुआ कि राशि ₹4.51 करोड़ कोषालय से आहरित की गई थी तथा वित्त विभाग से अनुमति लिए बिना पांच⁴³ बैंक खातों में जमा की गई थी जो कि विभिन्न योजनाओं नामतः हाँस्टल, आश्रम एवं स्कूल के लिए लघु निर्माण कार्य, खेल योगदान स्थानीय निधि, कौशल विकास एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए खोले गए थे किंतु, वह राशि निष्क्रिय पड़ी थी।

इस ओर इंगित किए जाने पर सहायक आयुक्त ने उत्तर दिया (मार्च 2019) कि बैंक खातों में जमा राशि पूर्व में स्वीकृत निर्माण कार्य से संबंधित है। कार्यों के मूल्यांकन के पश्चात समय—समय पर भुगतान किया जाएगा। कौशल विकास योजना से संबंधित शेष राशि को शासकीय खातों में जमा करने के संबंध में आयुक्त, जनजातीय विभाग से दिशा—निर्देश मांगे गए हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निधियों को बैंक में जमा करने के लिए वित्त विभाग की अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी। तथ्य यह है कि इन खातों में रखी गई राशि, आहरित कर शासकीय खातों में जमा की जानी चाहिए थी। बिना तत्काल आवश्यकता के निधियों का आहरण एवं उन्हीं निधियों को बैंक में जमा करना शासन के निर्देशों एवं मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन है।

⁴² (1) एस.बी.आई., हरदा: ₹1.26 लाख, (2) एस.बी.आई., बुरहानपुर: ₹5.65 लाख, (3) एस.बी.आई., कटनी: ₹15.17 लाख (4) स्टेट बैंक ऑफ इंडैन, शाजापुर: ₹36.61 लाख (5) एस.बी.आई., छतरपुर: ₹5.30 लाख (6) एस.बी.आई., अलीराजपुर: ₹22.65 लाख

⁴³ (1) बैंक ऑफ बड़ौदा: ₹2.25 करोड़ (2) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया: ₹0.02 करोड़ (3) बैंक ऑफ बड़ौदा: ₹1.02 करोड़ (4) बैंक ऑफ महाराष्ट्र: ₹0.60 करोड़ (5) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया: ₹0.62 करोड़

3.11.2 योजना की समर्पिति के पश्चात् निधियों को बैंक खातों में रखना

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता खंड 1 के अध्याय 9 के नियम 173 के अनुसार जब तक शासन द्वारा अन्यथा आदेश न हो, विशिष्ट उद्देश्य के लिए दिया गया प्रत्येक अनुदान निहित शर्त के अधीन है कि राशि का कोई भी भाग जो अंतिम रूप से उस उद्देश्य पर व्यय के लिए अपेक्षित नहीं है, विधिवत शासन को समर्पित कर दिया जाना चाहिए।

आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर निगम⁴⁴/परिषद⁴⁵ के अभिलेखों की नमूना जांच से परिलक्षित हुआ कि नगरीय स्थानीय निकायों के विभिन्न योजनाओं की राशि ₹5.20 करोड़ बैंक खातों में पड़ी हुई थी। ये योजनाएं या तो बंद हो चुकी थीं या कोषालय पोर्टल द्वारा संचालित की जा रही हैं, किन्तु, राशियों को शासकीय खाते में समर्पित/जमा नहीं किया गया था। विवरण **परिशिष्ट 3.11** में दिया गया है।

विभिन्न योजनाओं की राशि ₹5.20 करोड़ का बैंक खातों में अवरोधन न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि निधियों के प्रवाह को भी प्रभावित करता है जिसका उपयोग शासन द्वारा अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन में किया जा सकता था।

आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर निगम ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया तथा बताया कि राशि को शासकीय खाते में जमा करने के लिए कार्रवाई की जाएगी तथा लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

3.12 राज्य विधानमंडल में स्वायत्त निकायों के पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को रखने की स्थिति

राज्य शासन ने कृषि, आवास, श्रम कल्याण, नगरीय विकास इत्यादि क्षेत्रों में अनेक स्वायत्त निकायों की स्थापना की है। राज्य में सात स्वायत्त निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है। 30 सितम्बर 2019 तक लेखापरीक्षा सौंपने, लेखापरीक्षा को लेखे भेजने, पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करने तथा विधानमंडल में उनकी प्रस्तुति की स्थिति **तालिका 3.15** में दी गई है।

⁴⁴ जबलपुर, खंडवा

⁴⁵ अकोडा (मिंड), बिजुरी (अनूपपुर), चाकघाट (रीवा), धनपुरी (शहडोल), गुढ़ (रीवा), गोविन्दगढ़ (रीवा) एवं पासन (अनूपपुर)

तालिका 3.15: स्वायत्त निकायों के लेखे प्रस्तुत करने की स्थिति						
संक्र.	निकाय का नाम	अधिनियम के अंतर्गत लेखापरीक्षा	वर्ष जब तक लेखे प्रस्तुत किये गये थे	अवधि जब तक पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए थे	विधानसभा में पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति	लेखों की प्रस्तुति/अप्रस्तुति में विलंब ⁴⁶ (माहों में)
1	मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग मंडल, भोपाल	नियंत्रक— महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम की धारा 19(3)	2015-16	2015-16	2013-14 (पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति दिनांक 07.03.2018)	2014-15 (31) 2015-16 (19) 2016-17 (27) 2017-18 (15) 2018-19 (03)
2	मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग, भोपाल	नियंत्रक— महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम की धारा 19(2)	2016-17	2016-17	2014-15 (पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति दिनांक 30.11.2017)	2015-16 (15) 2016-17 (22) 2017-18 (15) 2018-19 (03)
3	मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल	नियंत्रक— महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम की धारा 19(2)	2012-13	2012-13	वर्ष 2003-04 से 2012-13 तक के लिए पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए थे। राज्य विधानमंडल में पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति प्रतीक्षित थी।	2012-13 (59) 2013-14 (63) 2014-15 (51) 2015-16 (39) 2016-17 (27) 2017-18 (15) 2018-19 (03)
4	मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर	नियंत्रक— महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम की धारा 19(2)	2006-07 से 2012-13	2009-10	वर्ष 2009-10 के लिए पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन दिनांक 26.06.2018 को जारी किए गए थे। राज्य विधानमंडल में पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति प्रतीक्षित थी। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर ने 1997-98 से 2012-13 तक के बिना लेखापरीक्षा किये हुए लेखे राज्य विधानमंडल में दिनांक 25.02.2016 को प्रस्तुत किये।	2006-07 (133) 2007-08 (121) 2008-09 (109) 2009-10 (97) 2010-11 (85) 2011-12 (73) 2012-13 (61) 2013-14 (63) 2014-15 (51) 2015-16 (39) 2016-17 (27) 2017-18 (15) 2018-19 (03)
5	मध्य प्रदेश आवास एवं अधोसंचना विकास मंडल, भोपाल	नियंत्रक— महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम की धारा 19(3)	2017-18	2017-18	2015-16 (पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति दिनांक 18.07.2017)	2016-17 (02) 2017-18 (00) 2018-19 (03)
6	मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल	नियंत्रक— महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम की धारा 19(2)	2017-18	2017-18	2017-18 (पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति दिनांक 20.02.2019)	2018-19 (03)

⁴⁶ विलम्ब की अवधि, लेखा प्राप्ति की नियत दिनांक अर्थात् आगामी वित्तीय वर्ष की 30 जून से 30 सितम्बर 2019 तक ली गई है।

तालिका 3.15: स्वायत्त निकायों के लेखे प्रस्तुत करने की स्थिति						
संक्र.	निकाय का नाम	अधिनियम के अंतर्गत लेखापरीक्षा	वर्ष जब तक लेखे प्रस्तुत किये गये थे	अवधि जब तक पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए थे	विधानसभा में पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति	लेखों की प्रस्तुति/अप्रस्तुति में विलंब ⁴⁶ (माहों में)
7	मध्य भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण	नियंत्रक—महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम की धारा 19(2)	2017-18 (नवीन)	2017-18	प्रस्तुत नहीं किया गया	2017-18 (04) 2018-19 (03)

3.13 भारतीय शासकीय लेखांकन मानकों का अनुपालन न होना

वर्ष 2002 में भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा गठित शासकीय लेखांकन मानक सलाहकार मण्डल जवाबदेही तंत्र को बढ़ाने के लिए शासकीय लेखांकन एवं वित्तीय सूचना के लिए मानक तैयार कर रहा है। मार्च 2019 के अंत तक, तीन भारतीय शासकीय लेखांकन मानक (आई.जी.ए.एस.) अधिसूचित किए गए हैं। इन मानकों के विवरण तथा मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2018–19 के लिए अपने वित्तीय विवरण में इनके अनुपालन की सीमा **तालिका 3.16** में दी गई है।

तालिका 3.16: भारतीय शासकीय लेखांकन मानकों का अनुपालन			
आई.जी.ए.एस.	आई.जी.ए.एस. का सार	स्थिति	गैर—अनुपालन का प्रभाव
आई.जी.ए.एस. 1 शासन द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियाँ—प्रकटीकरण आवश्यकताएँ	इस मानक के अंतर्गत शासन से वर्ष के दौरान अपने वित्तीय विवरण में परिग्रहितियाँ, हटाई गई, आमंत्रित, निपटाई गई एवं वर्ष के अंत में बकाया प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि प्रकट किया जाना अपेक्षित है।	अनुपालन हुआ	राज्य शासन ने मार्च 2019 तक परिग्रहितियाँ, निपटाई गई, आमंत्रित एवं बकायों सहित 2018–19 के दौरान अधिकतम प्रत्याभूत राशि का खुलासा किया था।
आई.जी.ए.एस. 2 सहायता अनुदान का लेखांकन एवं वर्गीकरण	अंतिम उपयोग के निरपेक्ष, सहायता अनुदान प्रदाता के लेखे में राजस्व व्यय के रूप में एवं अनुदान गृहीता के लेखे में राजस्व प्राप्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाना है।	अनुपालन नहीं हुआ	राज्य शासन ने राशि ₹749.36 करोड़ की सहायता अनुदान को राजस्व अनुभाग के स्थान पर पूँजीगत मुख्य लेखा शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया। गैर—अनुपालन के कारण राजस्व अधिशेष बढ़ाकर एवं पूँजीगत व्यय बढ़ाकर बताया गया (कंडिका 2.3.9)
आई.जी.ए.एस. 3 शासन द्वारा प्रदत्त कर्ज एवं अग्रिम	यह मानक सम्पूर्ण, सटीक एवं एकरूप लेखांकन प्रथाएँ सुनिश्चित करने के लिए शासन द्वारा अपने वित्तीय विवरण में लिए गए कर्जों एवं अग्रिमों की पहचान, मापन, मूल्यांकन एवं प्रतिवेदन से संबंधित है।	आंशिक अनुपालन किया गया	“अप्रतिलिप्य कर्जों एवं अग्रिमों का अपलेखन”, ऋणी संस्थाओं से बकायों में पुनर्भुगतान”, “वर्ष के दौरान प्रदत्त कर्ज एवं अग्रिम” तथा “कर्जों एवं अग्रिमों से संबंधित असाधारण लेन-देनों को इंगेट करने वाले प्रकटीकरण” वित्त लेखों में नहीं किए गए थे, क्योंकि राज्य शासन द्वारा जानकारी प्रदान नहीं की गयी थी। इस प्रकार राज्य वित्त के इन महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर प्रतिवेदन करना संभव नहीं है।

3.14 निष्कर्ष

सर्वग्राही लघु शीर्ष 800—‘अन्य प्राप्तियां’ ($\text{₹}34,831.64$ करोड़) एवं ‘अन्य व्यय’ ($\text{₹}30,676.59$ करोड़) के विवेकहीन संचालन ने वित्तीय सूचना में पारदर्शिता को प्रभावित किया तथा व्यय की गुणवत्ता एवं आवंटन प्राथमिकताओं के उचित विश्लेषण को अस्पष्ट किया।

विभिन्न विभागों द्वारा विशिष्ट विकासात्मक कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए आहरित कुल राशि $\text{₹}14,470.62$ करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए थे, जो कि निर्धारित वित्तीय नियमों एवं निर्देशों का उल्लंघन था तथा राज्य शासन के खराब नियंत्रण तंत्र को दर्शाते हुए अपर्याप्त अंतरिक नियंत्रणों को इंगित करता है।

नियंत्रण अधिकारियों ने अपने लेखा आंकड़ों का मिलान प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय द्वारा दर्ज आंकड़ों से प्राप्तियों के संबंध में केवल 13.94 प्रतिशत एवं व्यय के संबंध में केवल 48.99 प्रतिशत की सीमा तक ही किया है। लेखा प्रतिपादन ईकाईयों/प्राधिकारियों द्वारा लेखाओं के गैर-मिलान ने राज्य के लेखाओं की शुद्धता एवं पूर्णता और प्रभावी बजटीय प्रबंधन को प्रभावित किया।

मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल ने बैंक खातों में $\text{₹}1,777.75$ करोड़ की राशि अवरुद्ध की थी। आगे, मण्डल उपलब्ध निधियों का मात्र 15 प्रतिशत ही उपयोग कर सका तथा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत कर्मकारों की केवल 30 प्रतिशत कल्याण गतिविधियों को पूरा किया।

विभिन्न जिलों के जिलाधीशों द्वारा वित्त विभाग के प्राधिकार के बिना बैंक खातों में राशि $\text{₹}13.78$ करोड़ अवरुद्ध की गई थी।

विभिन्न व्यक्तिगत जमा खाते वृहत शेषों सहित तीन वर्षों से अधिक से असंचालित पड़े थे। शासन को इन खातों की निकटता से निगरानी करनी चाहिए थी तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि ऐसे असंचालित खाते बंद हैं तथा शेषों को राज्य की कोषालय संहिता के अनुसार शासकीय खातों में अंतरित कर दिया गया है।

3.15 अनुशंसाएं

- i) राज्य शासन को सभी व्यक्तिगत जमा खातों की समीक्षा करनी चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन खातों में निष्क्रिय पड़ी निधियों को शासकीय खाते में तत्काल अंतरित किया जाए। आगे, शासन को व्यक्तिगत जमा खातों में अव्ययित शेषों का विवरण प्रकट करना चाहिए।
- ii) राज्य शासन को विभागीय अधिकारियों द्वारा बिना प्राधिकार के खोले गए समस्त बैंक खातों की शीघ्रता से समीक्षा करनी चाहिए तथा उसके आदेशों के उल्लंघन के लिए जवाबदेही तय करनी चाहिए। ऐसे समस्त बैंक खातों में पड़ी हुई निधियों को तत्काल राज्य की समेकित निधि में अंतरित किया जाना चाहिए।
- iii) राज्य शासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अपने लेखों को अंतिम रूप दे तथा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकारों की कार्य स्थितियां सुधारने संबंधी अपने अधिदेश की पूर्ति करे, जैसा कि अधिनियम में निर्धारित है। बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों की प्रस्तुती के बिना आगे कोई भी निधि जारी नहीं की जानी चाहिए।
- iv) राज्य शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्रों की प्रस्तुति रोकने वाले प्रकरणों की पहचान करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभाग उपयोगिता प्रमाण पत्रों की समयोचित प्रस्तुती संबंधी निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन करे एक सख्त नियंत्रण तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।

- v) राज्य शासन को सर्वग्राही लघु शीर्ष—800 का उपयोग हतोत्सहित करना चाहिए तथा लेखा—बहियों में लेन—देनों को सही ढंग से वर्गीकृत करने के लिए उपयुक्त लेखा शीर्षों की पहचान करने के लिए प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के साथ परामर्श कर एक विशिष्ट समय—सीमा की योजना बनाना चाहिए।
- vi) आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है तथा शासन को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि शासकीय लेन—देनों के लेखांकन में पारदर्शिता एवं सटीकता प्रदान करने के लिए नियंत्रण अधिकारी अपनी प्राप्तियों एवं व्यय के आंकड़ों का मिलान निर्धारित अंतराल पर प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के आंकड़ों से करें।

गवालियर
दिनांक:

(डी. साहू)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा—प्रथम)
मध्य प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक:

(गिरीश चंद्र मुमू)
भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक

